

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) दिनांक :- 01.06.2017

कैम्प का स्थान :- राडावास
मुकदमा नम्बर :- 301/2016
पीठासीन अधिकारी :- श्री रवि विजय उपखण्ड, अधिकारी (शाहपुरा)

उनवान

1. बाबूलाल }
2. रमेश } पुत्रान भोमाराम जाति कुमावत निवासी राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. बजरंग लाल }
2. दिनेश } पुत्रान गौरीशंकर
3. मुरारी पुत्र दिनेश
4. मीना देवी पत्नी दिनेश
5. सुशिला पत्नी बजरंग लाल
6. रिकू }
7. मोना } पुत्रिया बजरंग लाल
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
बजरंग लाल पुत्र मांगीलाल
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट 1956

निर्णय दिनांक :- 01.06.2017

दावा वादी लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 966/3 रकबा 0.20 हैक्ठो वाके ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा (जयपुर) पर वादीगण के कब्जे काशत में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें। बल्कि वादीगण को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काशत करने दें।

खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(रवि विजय)

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	